

आदेश

प्र0परि0/3087 बलराम मौर्या(वर्तमान में निलम्बित) का स्थानान्तरण पुलिस रेडियो स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त निदेशक,दूरसंचार,उ0प्र0,लखनऊ के आदेश संख्या:टी-207/2013 दिनांक 30.07.2013 द्वारा जनहित में जनपद लखनऊ से जनपद कुशीनगर किया गया है। श्री मौर्या को स्थानान्तरण पर जनपद लखनऊ से इनकी अनुपस्थिति में दिनांक 14.08.2013 अपरान्ह में कार्यमुक्त किया जा चुका है, किन्तु इनके द्वारा अभी तक अपने नवनियुक्त स्थान जनपद कुशीनगर में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। इस कर्मी द्वारा अपने उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या:5548 आफ 2013 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2013 को अन्तिम रूप से निस्तारित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के क्रम में श्री मौर्या द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांकित 26.09.2013 को पुलिस रेडियो स्थापना बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 23.10.2013 को निस्तारित किया गया। तदनुसार स्वमुखरित आदेश दिनांक 23.10.2013 को निर्गत किया गया। इसके उपरान्त भी इस कर्मी द्वारा अपने नवनियुक्त स्थान जनपद कुशीनगर में अपना आगमन नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप इस कर्मी को उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)/राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन), उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ के आदेश संख्या:एस-41/2014 दिनांक 01.08.2014 द्वारा निलम्बित करना पड़ा।

प्र0परि0/3087 बलराम मौर्या(वर्तमान में निलम्बित) द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध पुनः माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में याचिका संख्या:6819 आफ 2013 योजित की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिका को दिनांक 12.02.2015 को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए निम्नानुसार आदेशित गया है:-

Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya, J.

"Heard the petitioner who appears in person and learned Standing Counsel appearing for the respondents.

Looking into the entire facts and circumstances of the case and also taking personal difficulties being faced by the petitioner, the writ petition is finally disposed of with the direction to the Director, Telecommunication, U.P. Police Radio Headquarter Mahanagar, Lucknow to consider the petitioner's posting at a place which is nearby Lucknow. For the said purpose, the petitioner will make a representation to the Director within a week from today which shall be considered and appropriate order thereon shall be passed by him within next one week ignoring the earlier order dated 23.10.2013.

Order Date:-12.2.2015

Renu/

मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या:6819 आफ 2013 में दिनांक 12.02.2015 को पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में आदेश दिनांक 12.02.2015 की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्र0परि0/3087 बलराम मौर्या, पता- ए-ब्लाक,1509/11, इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 16.02.2015 प्रेषित किया गया है। जिसमें श्री मौर्या द्वारा जनपद लखनऊ से जनपद कुशीनगर किये गये स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने अथवा लखनऊ के नजदीक जनपद बाराबंकी, उन्नाव अथवा हरदोई में से किसी एक जनपद में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश का सम्मान करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2015 के अनुपालन में पुलिस रेडियो स्थापना बोर्ड द्वारा श्री बलराम मौर्या के सम्बन्ध में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23.10.2013 को संज्ञान में न लेते हुए तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश व सभी सम्बन्धित अभिलेखों के अनुशीलन एवं प्रधान परिचालक/3087 बलराम मौर्या के प्रत्यावेदन दिनांक 16.02.2015

क्रमशः.....



(2)

में अंकित तथ्यों/समस्याओं आदि पर गम्भीरता पूर्वक सम्युक्त विचारोपरान्त प्र०परि०/3087 बलराम मौर्या (निलम्बित) के जनपद लखनऊ से जनहित में जनपद कुशीनगर किये गये स्थानान्तरण आदेश को जनपद हरदोई में विद्यमान रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करते हुए स्थानान्तरण जनपद कुशीनगर से जनपद हरदोई किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएवं प्रधान परिचालक/3087 बलराम मौर्या(निलम्बित) के प्रत्योवदन दिनांक 16.02.2015 को गम्भीरता पूर्वक सम्युक्त विचारोपरान्त एतद्वारा पुलिस रेडियो स्थापना बोर्ड द्वारा निस्तारित कर दिया गया है।

संख्या:टी-207/2015

दिनांक:फरवरी 10, 2015

निदेशक, दूरसंचार, उ०प्र०

उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस उपमहानिरीक्षक(दूर संचार), उ०प्र०, लखनऊ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ/कुशीनगर/हरदोई।
3. राज्य रेडियो अधिकारी, प्रशासन/गोरखपुर जोन/लखनऊ जोन।
4. अपर राज्य रेडियो अधिकारी, लखनऊ जोन।
5. सहायक रेडियो अधिकारी, देवरिया/लखनऊ/प्रशासन।
6. सहायक रेडियो अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, रेडियो मुख्यालय, लखनऊ को इस इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि चीफ स्टैण्डिंग काउन्सिल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. रेडियो निरीक्षक जनपद कुशीनगर को इस आशय से दो प्रतियों में प्रेषित है कि इसकी एक प्रति प्रधान परिचालक/3087 बलराम मौर्या(निलम्बित) को हस्तगत कर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर इस मुख्यालय को अभिलेखार्थ वापस करना सुनिश्चित करें।
8. रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार, रेडियो मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से दो प्रतियों में प्रेषित है कि इसकी एक प्रति प्रधान परिचालक/3087 बलराम मौर्या(निलम्बित) को पता-1509/11, ए-ब्लाक, इन्दिरा नगर लखनऊ पर हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर इस मुख्यालय को अभिलेखार्थ वापस करना सुनिश्चित करें।
9. प्र०परि०/3087 बलराम मौर्या(निलम्बित) पता- 1509/11, ए-ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ को उनके प्रत्यावेदन दि० 16.02.2015 के क्रम में सूचनार्थ (रजिस्टर्ड डाक से)।
10. सहायक रेडियो अधिकारी(कार्मिक)/प्रधान लिपिक, चरित्र पंजी शाखा, रेडियो मुख्यालय, लखनऊ को अगिलेखों को अद्यतन कराये जाने हेतु।
11. रेडियो निरीक्षक, कुशीनगर/हरदोई/न०नि० कक्ष, लखनऊ/(कार्मिक), रेडियो मुख्यालय।
12. रेडियो निरीक्षक(प्रतिसार) को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन हेतु।
13. कार्यालय प्रति।

ARo(W) प्रतिलिपि:- निम्न को कृपया सादर सूचनार्थ।

21.2.15

1. अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक(दूरसंचार), उ०प्र०, लखनऊ।